Email **Judicial Section**

ORDER passed in Original Application No. 318/2024

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Fri, Jul 05, 2024 05:11 PM

Subject : ORDER passed in Original Application No. 318/2024 2 attachments

To : Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>, Judicial Section <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Cc : Ms Leena Nandan <secy-moef@nic.in>, ROR MoEFCC <ro.ranchi-mef@gov.in>, bspcb@yahoo.com, Member Secretary <msbspcb-bih@gov.in>, Dr. Nawal Kishor Choudhary <dm-bhagalpur.bih@nic.in>, Clean Ganga Mission <admn.nmcg@nic.in>, DG NMCG <dg@nmcg.nic.in>, wrd-bih <wrd-bih@nic.in>, er asif wrd <er.asif.wrd@gmail.com>, mail@gautamsinghh.com, gautamsinghh ind <gautamsinghh.ind@gmail.com>

Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Petition & Order dated 31/05/2024 passed in Original Application No. 318/2024 Hemant Kumar Applicant Versus State of Bihar & Ors Respondent Geeta Devi Applicant(s) Versus State of Jharkhand Respondent(s).** for your kind perusal & necessary action.

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.) New Delhi

OA NO 318 of 2024 LP No 2134-pages-deleted.pdf
8 MB

Hemant Kumar.pdf
273 KB

Item No. 5 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 318/2024

Hemant Kumar Applicant

Versus

State of Bihar & Ors Respondent

Date of hearing: 31.05.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This Original Application has been registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) on a letter petition dated 07.09.2023 sent by Hemant Kumar complaining that Vikramshila Ganga Dolphin Sanctuary (hereinafter referred to as **'VGDS'**) is the only sanctuary in India for protection of dolphins in Bhagalpur district, State of Bihar and is extend to about 60 Km of River Ganga from Sultanganj to Kahalgoan in district Bhagalpur. A bridge was under construction on river Ganga at Sultanganj, Aguani Ghat which was damaged on 04.06.2024. Reasons for damage are under investigation of different departments. However, said damage has endangered the aquatic life of dolphins in river. Huge quantity of muck fell in river Ganga due to above disaster causing severe damage to lives of dolphin in the river. Therefore,

a request has been made to look into the matter immediately for removal of muck from river without disturbing or endangering life of dolphins in the area concerned and to take all possible steps for protection of environment and aquatic life of dolphins.

2. In our view, complaint made in the present Original Application gives rise to a substantial question relating to environment arising due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual Report by constituting a Joint Committee comprising Bihar State Pollution Control Board, District Magistrate, Bhagalpur, representative of NMCG, Principal Secretary, Ministry of Jal Shakti, State of Bihar, Government of India and Regional Office, MoEF & CC, Patna.

3. District Magistrate, Bhagalpur shall be the Nodal Agency for compliance and coordination.

4. Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual Report to Registrar, Eastern Zone Bench, Kolkata within two months.

5. Since the matter relates to Eastern Zone Bench of Tribunal at Kolkata, therefore, Registry is directed to transmit record to Eastern Zone Bench, Kolkata for further proceedings.

6. List before Eastern Zone Bench at Kolkata for further consideration on 12.08.2024.

7. A copy of this order be forwarded to Bihar State Pollution Control Board, District Magistrate, Bhagalpur, representative of NMCG, Principal Secretary, Ministry of Jal Shakti, State of Bihar, Government

of India and Regional Office, MoEF & CC, Patna for information and compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 31, 2024
O A No. 318/202
PU

Email

2134/LP/2023
26/9/23

5

Public Grievance

(18)

गंगा नदी पर सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल के ढहने से क्षेत्र की जल जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में

From : hemant3 bharti <hemant3.bharti@gmail.com> Thu, Sep 07, 2023 09:16 AM

Subject : गंगा नदी पर सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल के ढहने से क्षेत्र की जल जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में

9 attachments

To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

Cc : Administrative Section <admn.ngt@nic.in>

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (विजीडीएस), देश का एकमात्र डॉल्फ़िन अभयारण्य(Sanctuary) है। जिसका विस्तार भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में 60 किलोमीटर का है।

4 जून को गंगा नदी पर बन रहा सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जिसमें अलग-अलग विभाग जांच में जुटे हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी पुल ढहने से डॉल्फिन पर मंडराए खतरे की जांच कर रही है। पूरी संभावना है कि इस हादसे में पुल का मलबा ढहने से लुप्तप्राय हो रहे डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जानवरों को नुकसान पहुंचा होगा। जलीय जीव-जंतुओं की खूबसूरती को नजदीक से देखने की लोगों की आस अब टूट चुकी है, क्योंकि पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धराशायी हो गया है. पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला 4 मंजिला डॉल्फिन ऑब्जरवेशन सेंटर बनने वाला था जिसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इतना ही नहीं इस दुर्घटना से स्टीमर के जरिए गंगा में इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट और भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ डॉल्फिन को देखने के उम्मीदों को भी गहरा झटका लगा है।

साथ ही साथ कंक्रीट संरचना का इतना बड़ा हिस्सा गंगा में लंबे समय तक पड़े रहने से पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में नदी की जल जैव विविधता को गहरा नुकसान होगा। जल में रहने वाले जीव-जंतुओं जीवन संकट में आ जाएगा । गाद के विपरीत, पुल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कंक्रीट संरचनाएं गैर-बायोडिग्रेडेबल होती हैं। इसलिए, कंक्रीट संरचनाओं के पानी में घुलने का कोई सवाल ही नहीं है। लोहे की छड़ें पानी के संपर्क में आने के बाद जंग में बदल सकती हैं, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वर्षों लग जाते हैं।

इस मामले की जानकारी हमने पत्रांक- LJD/03/23-24 दिनांक-11 July 2023 के द्वारा माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण बिहार को दी थीं। 7 अगस्त 2023 राष्ट्रीय लोक जनता दल ने माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर अवगत कराने हेतु से समय की मांग की थी (पत्रांक:- LJD/05/23-24 दिनांक:-04 August 2023)। लेकिन इतने अथक प्रयासों के बावजूद जब राज्य सरकार की ओर से न तो कोई कारवाई की गई और नहीं कोई जवाब/आश्वासन ही आया, इस गंभीर मामले पर राज्य सरकार द्वारा लगातर बरती जा रही उदासीनता/अकर्मण्यता के दृष्टिगत रालोजद का एक प्रतिनिधि 29 अगस्त 2023 माननीय महामहिम से मिला, महामहिम महोदय ने पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से विस्तार पूर्वक सुना और इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया।

महोदय से आग्रह है कि पुलनिर्माण से संबंधित कंपनी SP Snigla and Rodic Consultants Pvt. Ltd. को जल्द से जल्द प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना गंगा में गिरे मलबे को हटाने का आदेश निर्गत करे ताकि जलीय जीव मूवमेंट समन्या हो जाए हो जाए साथ ही इस कार्य पर दुर्घटना से हुए नुकसान का भरपाई इन्हीं दोनों कंपनियों से किया जाए और उन्हें काली सूची में डाला जाए ।

--

आभार व अभिवादन सहित,

Hemant Kumar
09771400433.

61

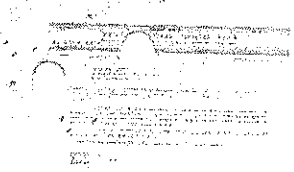

Letter to CM 7 Aug 2023.jpg
59 KB

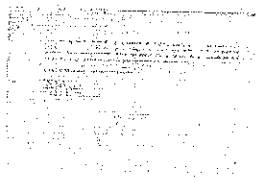

Letter to Governor of Bihar Dolphin 1.jpg
45 KB

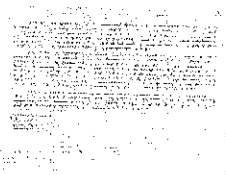

NGT New Delhi 1.jpg
82 KB

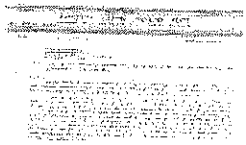

NGT New Delhi.jpg
80 KB

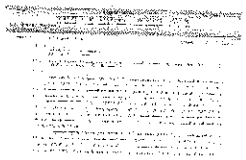

Letter to Governor of Bihar Dolphin.jpg
75 KB

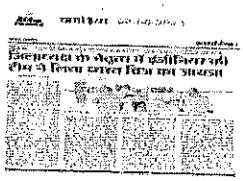

Danik Bhaskar.jpeg
131 KB

Vidhan Shabha 12 July.pdf
400 KB

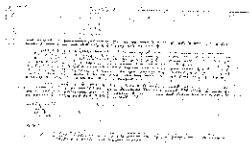

Letter to Minister 1.jpg
73 KB

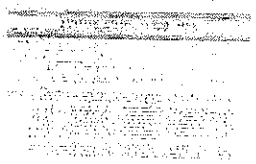

Letter to Minister.jpg
81 KB

(62)

जय किसान ! बिहार प्रदेश जय नौजवान !

राष्ट्रीय लोक जनता दल

कैम्प कार्यालय : 24 एफ., स्ट्रैण्ड रोड, पटना - 800 001, सम्पर्क सूत्र : - 9431026399

ई० हेमन्त कुमार

प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता

मो०- 9771460433

पत्रांक : ....RLJD/05/23-24 दिनांक 05 Aug 2023........

सेवा में,

श्री नीतीश कुमार,
मुख्यमंत्री बिहार, 4-देशरत्न मार्ग,
पटना, पिनकोड: 800001.

विषय : अगुवानी घाट - सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने के वास्तविक तथ्यों से श्रीमान से मिल कर अवगत कराने हेतु समय उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि मैं हेमंत कुमार प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल, 7 जून 2023 को अगुवानी घाट जाकर ध्वस्त पुल का स्थल निरीक्षण किया था जिसके फल स्वरूप मेरे संज्ञान में आए तथ्यों से श्रीमान को मिलकर महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं।

अतः आप से मेरा निवेदन है की अपनी व्यस्ततम कार्यक्रमों में से 5 से 10 मिनट का समय देने की असीम कृपा करना चाहेंगे।

इसके लिए मेरे साथ साथ बिहार की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी।

विश्वासभाजन

05/8/2023

हेमंत कुमार

M.Tech, B. E.(Civil)

महाविहित से आग्रह है कि पुनर्निमाण से संबंधित कंपनी SP Singla and Rodic Consultants Pvt. Ltd. को जल्द से जल्द प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना गंगा में गिरे मलबे को हटाने का आदेश निर्गत करें ताकि जलीय जीव मूवमेंट समस्या हो जाए ही जाए साथ ही इस कार्य पर दुर्घटना से हुए नुकसान का भरपाई इन्हीं दोनों कंपनियों से किया जाए।

इसके लिए हमलोग सदा आप के आभारी रहेंगे।

विश्वासभाजन
निलेकुमार 22/8/23
M.Tech, B.E(Civil)
9771400433/7004610749.

साथ ही साथ कंक्रीट संरचना का इतना बड़ा हिस्सा गंगा में लंबे समय तक पड़े रहने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में नदी की जल जैव विविधता को गहरा नुकसान होगा। जल में रहने वाले जीव-जंतुओं जीवन संकट में आ जाएगा। बाढ़ के विपरीत, पुल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कंक्रीट संरचनाएं गैर-बायोडिग्रेडेबल होती हैं। इसलिए, कंक्रीट संरचनाओं के पानी में घुलने का कोई सवाल ही नहीं है। लोहे की छड़ें पानी के संपर्क में आने के बाद जंग में बदल सकती है, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वर्षों लग जाते हैं।

इस मामले की जानकारी हमने पत्रांक- LJD/03/23-24 दिनांक-11 July 2023 के द्वारा माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण बिहार को दी थी, 7 अगस्त 2023 राष्ट्रीय लोक जनता दल ने माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर अवगत कराने हेतु से समय की मांग की थी (पत्रांक:- LJD/06/23-24 दिनांक-04 August 2023)। लेकिन इतने अथक प्रयासों के बावजूद जब राज्य सरकार की ओर से न तो कोई कारवाई की गई और नहीं कोई जवाब/आश्वासन ही आया, इस गंभीर मामले पर राज्य सरकार द्वारा लगातार बरती जा रही उदासीनता/अकर्मण्यता के इंगित रालोजद का एक प्रतिनिधि 29 अगस्त 2023 माननीय महामहिम से मिला, महामहिम महोदय ने पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से विस्तार पूर्वक सुना और इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया।

महोदय से आग्रह है कि पुलनिर्माण से संबंधित कंपनी SP Singla and Rodic Consultants Pvt. Ltd. को जल्द से जल्द प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना गंगा में गिरे मलबे को हटाने का आदेश निर्गत करे ताकि जलीय जीव मूवमेंट समस्या ही आए ही जाए साथ ही इस कार्य पर दुर्घटना से हुए नुकसान का भरपाई इन्हीं दोनों कंपनियों से किया जाए और उन्हें काली सूची में डाला जाए ।

धन्यवाद एवं आभार

इं० हेमंत कुमार
M.Tech. B.E.(Civil)

65

जय किसान ! बिहार प्रदेश जय नौजवान !!

राष्ट्रीय लोक जनता दल

केन्द्रीय कार्यालय : 24 एम., स्ट्रैंड रोड, पटना - 800 001, सम्पर्क सूत्र : [illegible]

ई० हेमन्त कुमार

[illegible] एवं प्रवक्ता

मो० - [illegible]

पत्रांक : RLJD/28/23-24 दिनांक 07 August 202[illegible]

To,

The Chairperson,
National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi - 110 001.

विषय:- गंगा नदी पर सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल के ढहने से क्षेत्र की जल जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (विजीडीएस), देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य(Sanctuary) है। जिसका विस्तार भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में 60 किलोमीटर का है।

4 जून को गंगा नदी पर बन रहा सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जिसमें अलग-अलग विभाग जांच में जुटे हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी पुल ढहने से डॉल्फिन पर मंडराए खतरे की जांच कर रही है। पूरी संभावना है कि इस हादसे में पुल का मलबा ढहने से लुप्तप्राय हो रहे डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जानवरों को नुकसान पहुंचा होगा। जलीय जीव-जंतुओं की खूबसूरती को नजदीक से देखने की लोगों की आस अब टूट चुकी है, क्योंकि पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धराशायी हो गया है. पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला 4 मंजिला डॉल्फिन ऑब्जरवेशन सेंटर बनने वाला था जिसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इतना ही नहीं इस दुर्घटना से स्टीमर के जरिए गंगा में इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट और भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ डॉल्फिन को देखने के उम्मीदों को भी गहरा झटका लगा है।

56/

बिहार प्रदेश
राष्ट्रीय लोक जनता दल
केन्द्रीय कार्यालय : 24 एम., स्ट्रैण्ड रोड, पटना - 800 001, सम्पर्क सूत्र - 9431026399
ई० हेमन्त कुमार
प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता

पत्रांक : RLJD/06/23-24 दिनांक 19/08/23

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,
बिहार, राजभवन पटना।

विषय:- ध्वस्त अगुआनीघाट-सुल्तानगंज पुल के मलबे से क्षेत्र की जल जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि 4 जून 2023 को 1717 करोड़ के लागत से अगुवानीघाट-सुल्तानगंज भागलपुर में गंगा नदी पर बनने वाला पुल अचानक ध्वस्त हो गया था। देश का एक मात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, (sanctuary) विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में ही इस पुल का निर्माण हो रहा था। पूरी संभावना है कि इस हादसे में पुल का मलबा ढहने से लुप्तप्राय हो रहे डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जानवरों को नुकसान पहुंचा होगा। कंक्रीट संरचना का इतना बड़ा हिस्सा गंगा में लंबे समय तक पड़े रहने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में नदी की जल जैव विविधता को गहरा नुकसान होगा। जल में रहने वाले जीव-जंतुओं जीवन संकट में आ जाएगा। इस मामले की जानकारी हमने पत्रांक- LJD/03/23-24 दिनांक-11 July 2023 के द्वारा माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण बिहार को दी थी।

7 अगस्त 2023 राष्ट्रीय लोक जनता दल ने इस गंभीर मामले से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर अवगत कराने हेतु से समय की मांग की थी (पत्रांक:- LJD/05/23-24 दिनांक:-04 August 2023)। लेकिन इतने अथक प्रयासों के बावजूद जब राज्य सरकार की ओर से न तो कोई कारवाई की गई और नहीं कोई जवाब/आश्वासन ही आया तो विवश होकर हम लोगों को भवदीय के शरण में आना पड़ा।

दैनिक भास्कर खगड़िया 09-06-2023

दैनिक भास्कर खगड़िया •

जायजा • पुल के ध्वस्त होने के बाद राजनीतिक दलों ने की कार्रवाई की मांग

जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इंजीनियर की टीम ने लिया ध्वस्त ब्रिज का जायजा

भास्कर न्यूज | खगड़िया

रालोजद के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में प्रदेश की इंजीनियर की टीम ने गुरुवार को अगुवानी- सुल्तानगंज ध्वस्त गंगा पुल का जायजा लिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इंजीनियर हेमंत कुमार के नेतृत्व में एक जांच कमेटी टीम अगुवानी- सुल्तानगंज गंगा पुल का निरीक्षण करने घटना स्थल पहुंची थी।

टीम में रालोजद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा, प्रदेश सचिव रामाशंकर सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल कुमार यादव, आईटी सेल के सदस्य अमित कुमार, प्रदेश युवा मीडिया प्रभारी रवीश कुमार अंशु, वीर सिंह व पार्टी के जिला प्रवक्ता मोहित सिंह कुशवाहा समेत अन्य पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि जानकार ने प्रथम दृष्टया में बताया कि पुल के निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई। हमारी जांच टीम के प्रमुख इंजीनियर हेमंत कुमार ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर इन बिंदुओं पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को विस्तृत रिपोर्ट देने का फैसला लिया। इस प्रकार के तहत योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति सरकार से मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी चुना जाता है। जो डीपीआर बनाती है। जिसका बजट करोड़ों का होता है। फिर एक आर्किटेक्चर कंसल्टेंट को चुना जाता है, जो लेआउट तैयार करता है। जिसका बजट भी करोड़ों में होता है। लेआउट तैयार होने के बाद एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को डिजाइन के लिए दिया जाता है। डिजाइन को आईआईटी से अप्रूवल कर देना होता है। उसका फीस करोड़ों में होता है। फिर एक कार्यकारी एजेंसी टेंडर तय होता है। जो पुल का निर्माण करता है और एक कंसल्टेंट तय होता है। जो उस पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करता है। इन दोनों के ऊपर डिपार्टमेंट के इंजीनियर होते हैं जो हर निर्माण के स्टेज पर नजर रखते हैं। इस तरह इसका बजट 1710 करोड़ नहीं बल्कि इस निर्माणाधीन पुल की लागत 2000 करोड़ से ऊपर हो जाती है।

इंजीनियर की टीम के साथ गंगा नदी में ध्वस्त ब्रिज का जायजा लेने में जुटे रालोजद के नेतागण।

बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्य के गरीब जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई इस तरह पानी में बह जाए, बिहार के हित में नहीं है। प्रथम दृष्टया से यह प्रतीत होता है कि केवल फेल होने से, फाउंडेशन का अचानक बैठ जाने से या केबल का फिटिंग नहीं होने के कारण भी पुल ध्वस्त हो सकता है। एसपी सिंगला कंपनी के पास बिहार में सबसे ज्यादा पुल निर्माण का ठेका है। पहले भी इसकी कार्यप्रणाली एवं इसको मिलने वाले टेंडर पर सवालिया निशान लग चुका है। बावजूद बिहार सरकार की खास मेहरबानी इस पर है। इसलिए हमारी पार्टी सरकार से यह मांग करती है कि हाईकोर्ट के निगरानी में जांच कराई जाए, एक निश्चित समय में रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जबतक जांच रिपोर्ट ना आए इस कंपनी के सभी कार्यों को रोक कर रखा जाए, इस ब्रिज निर्माण से जुड़े सभी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इस ब्रिज निर्माण से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिससे जांच में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

:13 Am blaqrms.bih.nic.in/Image.aspx?Ques_Id=230&Sess_Id= 17-2023-9&Dept_Id= 15

68

सप्तदश बिहार विधान सभा का नवम सत्र के लिए माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–12.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न।

सं०:– अ०सू०प्र० सं०–03 (BLAQRMS No.–230) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि एस0पी0 कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 1717 करोड़ की लागत से निर्माण किये जा रहे सुल्तानगंज–अगुवानी, घाट पुल दिनांक–04.06.2023 को धराशायी हो गया; 2. क्या यह बात सही है कि दिनांक–29.04.2022 को भी 100 फीट लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया था; 3. क्या यह बात सही है कि इस कंपनी के द्वारा इस पुल निर्माण में घटिया सामग्री और गलत तकनीक उपयोग किए जाने के कारण 8 वर्षों से बन रहा यह पुल गिर गया; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार एस0पी0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बिहार में निर्माण किए जा रहे सभी पुलों एवं सुल्तानगंज–अगुवानी, घाट पुल में उपयोग किये जा रहे घटिया सामग्री एवं गलत तकनीकी की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में दिनांक–30.04.2022 को निर्माणाधीन पुल के पाया सं0–05 पर Launching किए जा रहे 27–27 Segment में Stressing के दौरान कुल 19–19 Segment क्षतिग्रस्त हो गये थे। पुनः दिनांक–04.06.2023 को निर्माणाधीन पुल के अंश पीयर सं0–10, 11, 12 के बीच Extradose Superstructure भाग दिनांक–04.06.2023 को गिर गया। सम्प्रति मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 8/पथ/अ०सू०(वि०स०) 04–03/2023 3964(S) पटना, दिनांक : 10/07/23
प्रतिलिपि : चार अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.07.23
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3964(S) पटना, दिनांक : 10/07/23
प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.07.23
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3964(S) पटना, दिनांक : 10/07/23
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.07.23
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner

पानी से घुलने का कोई सवाल ही नहीं है। लोहे की छड़ें पानी के संपर्क में आने के बाद जंग में बदल सकती हैं, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वर्षों लग जाते हैं।

इतनी भारी मात्रा में कंक्रीट संरचनाएं नदी के प्रवाह को भी बदल देती हैं। इससे क्षेत्र में नदी अधिक उथली हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है। खगड़िया, विशेष रूप से, मानसून के मौसम में बाढ़ से घिरा है। ताजा संरचनात्मक आपदा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए और अधिक परेशानी का कारण बनेगी । बिहार हिमालय पर्वतमाला के निचले इलाके में स्थित है। परिणामस्वरूप, कोसी, कमला बलान, गंडक और परमान जैसी कई नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। उनका पानी उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को पार करता हुआ अंततः गंगा नदी में गिरता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, गंगा नदी पर सुल्तानगंज-अगुआनी पुल के ढहने से क्षेत्र की जल जैव विविधता पर न केवल तात्कालिक बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। पुल गिरने के 40-45 दिन होने के बावजूद वहां मलबा हटाने का कोई काम नहीं हो रहा है।

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पुलनिर्माण से संबंधित कंपनी SP Singla and Rodic Consultants Pvt. Ltd. को जल्द से जल्द प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना गंगा में गिरे मलबे को हटाने का आदेश निर्गत करें ताकि जलीय जीव मुक्त समस्या से जाए हो जाए साथ ही इस कार्य पर दुर्घटना से हुए नुकसान का भरपाई इन्हीं दोनों कंपनियों से किया जाए।

धन्यवाद एवं आभार

ई० हेमंत कुमार
M.Tech. B.E.(Civil)

प्रतिलिपि:

1) The Chairperson, National Green Tribunal Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi.
2) श्री भूपेंद्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, न्यू दिल्ली ।
   को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

70

जय किसान । बिहार प्रदेश जय नौजवान ।

राष्ट्रीय लोक जनता दल

कैम्प कार्यालय : 24 एम., स्ट्रैण्ड रोड, पटना - 800 001, सम्पर्क सूत्र : [illegible]

ई० हेमन्त कुमार
प्रदेश [illegible]
मो० [illegible]

पत्रांक : ......

दिनांक : ......

RI [illegible]

[illegible] July 20[illegible]

सेवा में,

श्री तेज प्रताप यादव,
माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
बिहार।

विषय: गंगा नदी पर सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल के टूटने से [illegible] डॉल्फिन पर [illegible] प्रभाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य (वीजीडीएस) देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य (Sanctuary) है। जिसका विस्तार भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में 60 किलोमीटर का है।

[illegible] गंगा नदी पर बन रहा सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल का एक बड़ा हिस्सा [illegible] जिसके अचानक [illegible] से जुड़े हुए हैं। [illegible] की टीमें भी पुल हादसे से डॉल्फिन पर गहराए खतरे की जांच कर रही है। पूरी संभावना है कि इस हादसे में पुल का मलबा गिरने से [illegible] डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जानवरों को नुकसान पहुंचा होगा। जलीय जीव-जन्तुओं की खूबसूरती को [illegible] से देखने की लोगों की आस अब टूट चुकी है, क्योंकि पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धराशायी हो गया है, पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला 4 मंजिला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनने वाला था जिसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इतना ही नहीं इस दुर्घटना से सरकार के [illegible] के इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट और भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच पर्यटकों के [illegible] डॉल्फिन को देखने के उम्मीदों को भी गहरा झटका लगा है।

[illegible] ही पुल कंक्रीट संरचना का [illegible] गंगा नदी में [illegible] डॉल्फिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में नदी की जल जैव विविधता को भारी नुकसान [illegible] जल में रहने वाले जीव-जन्तुओं [illegible] में आ जाएगा। [illegible] पुल [illegible] के लिए उपयोग की जाने वाली कंक्रीट [illegible] होती है। इसलिए, कंक्रीट संरचनाओं के